एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

1.	निदेशक-मंडल	1
2.	निदेशकों की रिपोर्ट	2
3.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	7
4.	सांविधिक लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट	8
5.	31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र	14
6.	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि लेखा	15
7.	नकदी प्रवाह विवरण	16
8.	लेखों के भाग निर्मित करने वाली अनुसूचियां	17

निदेशक-मंडल (22.12.2009 को)

श्री अरविन्द जाधव	अध्यक्ष
श्री एन. वघुल	
श्री ई.के. भारत भूषण	
श्री प्रशांत सुकुल	

मुख्य प्रचालन अधिकारी

कैप्टन ए.के. शर्मा

लेखा-परीक्षक

मैसर्स पी डी कपूर एण्ड कंपनी

सॉलिसिटर्स

मैसर्स एम.वी. किणी एण्ड कंपनी

बैंकर

एचडीएफसी बैंक लि.

पंजीकृत कार्यालय

एयरलाइन्स हाउस
113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड
नई दिल्ली - 110 001

निदेशकों की रिपोर्ट

तारीख 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा-परीक्षित लेखों, लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक द्वारा लेखों पर टिप्पणियों सहित कंपनी की छठी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशकों को प्रसन्नता है।

पूंजीगत संरचना :

एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएटीएसएल) जून, 2003 में निगमित की गई थी। कंपनी की पूंजीगत संरचना इस प्रकार है :

	(रुपए)
प्राधिकृत :	
प्रत्येक 10/- रुपए के 9 करोड़ इक्विटी शेयर :	90,00,00,000
प्रत्येक 100/- रुपए के 10 लाख निष्क्रेय अधिमान शेयर :	10,00,00,000
कुल	100,00,00,000
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी :	
प्रत्येक 10/- रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर	5,00,000

वित्तीय परिणाम :

(लाख रुपए में)

	2008-09	2007-08
कुल राजस्व	5993.24	3080.40
कुल व्यय	6086.77	3191.54
मूल्यह्रास पूर्व लाभ/(हानि)	(93.52)	(111.14)
घटाएं : मूल्यह्रास	0.22	0.23
कराधान पूर्व लाभ/(हानि)	(93.75)	(111.37)
कर पश्चात लाभ/(हानि)	(98.51)	(111.81)
घटाएं : आस्थगित कर देयता / परिसंपत्तियां	0.06	0.05
निवल लाभ/(हानि)	(98.45)	(111.76)

सितम्बर, 2009 तक एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लि. की गतिविधियां

विभिन्न भारतीय स्टेशनों पर ग्राहक एअरलाइनों की उड़ानों की हैंडलिंग की आवश्यकता के आधार पर, 1 सितम्बर, 2009 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों में कॉन्ट्रैक्ट आधार पर रखे गए कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है :

जूनियर एग्ज़ीक्यूटिव-टेक्निकल	12
कस्टमर एजेंट	230
रैम्प सर्विस एजेंट	110
सिक्युरिटी एजेंट	433
हैंडीमैन	270
यूटिलिटी सर्विस एजेंट (एमओयू के अनुसार समाविष्ट किया गया)	56
इक्विपमेंट ऑपरेटर/टेक्नीशियन (एअर इंडिया से सेवानिवृत्त)	3
कुल	1114

सभी स्टेशनों पर सभी उड़ानों की सुरक्षा हैंडलिंग केवल एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लि. के स्टाफ द्वारा की गई क्योंकि यह कार्य किसी बाहरी एजेंसी को आउटसोर्स करने की अनुमति नहीं थी।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लि. द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां निष्पादित की गई और आउटसोर्स की गई :

- **कोझिक्कोड** में 1 जुलाई, 2008 से एमिरेट्स की उड़ानों के लिए यात्री, बैगेज एवं रैम्प हैंडलिंग, 1 अगस्त, 2008 से इथियाड की उड़ानों के लिए यात्री तथा बैगेज हैंडलिंग तथा 29 मार्च, 2009 से एसवी/बहरीन उड़ानों के लिए यात्री, बैगेज, कार्गो एवं केबिन की साफ-सफाई।

- **चेन्नई** में 29 दिसम्बर, 2008 से कार्गो हैंडलिंग के लिए 40 हैंडीमैन उपलब्ध कराए गए।

- **त्रिचि** में 1 नवम्बर, 2008 से एअर एशिया की उड़ानों के लिए यात्री, बैगेज हैंडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट प्रदान किया गया। तथापि, प्रचालन फरवरी, 2009 से आरंभ किए गए।

- **मुंबई** में निम्नलिखित गतिविधियां संपन्न की गई :

  * थाई एअरवेज़ तथा मलेशियन एअरलाइन के लिए चैक-इन कर्मचारी क्रमशः दिनांक 15 मई तथा 16 अक्तूबर, 2008 से उपलब्ध कराए गए।

  * एआईएटीएसएल द्वारा टर्मिनल-II स्थित आईसी कोड उड़ानों के लिए यात्री, बैगेज, कार्गो, केबिन हैंडलिंग उपलब्ध कराने का कार्य 16 अक्तूबर, 2009 से लिया गया तथा आउटसोर्स किया गया।

कंपनी ने एआई-सैट्स की ओर से बैंगलुरू तथा हैदराबाद के लिए लगभग 2200 कर्मचारियों की नियुक्ति भी की है, जिन्हें निगमन के बाद अंततः संबंधित संयुक्त उद्यम कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन :

कंपनी का निदेशक-मंडल पुष्टि करता है कि -

1. वार्षिक लेखे तैयार करने की प्रक्रिया में लागू लेखाकरण मानकों का अनुसरण किया गया है और इसमें कोई वास्तविक विचलन नहीं है।

2. चयन की गई लेखाकरण नीतियों को प्रयुक्त किया गया और निदेशकों ने जो निर्णय और आकलन किए, वे इस रूप से औचित्यपूर्ण और सही हैं कि वे 31 मार्च, 2009 को कंपनी के क्रियाकलापों और उस दिनांक को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लाभ/हानि की सही और उचित स्थिति दर्शाते हैं।

3. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उसका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के रखरखाव हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

4. वार्षिक लेखे सतत आधार पर तैयार किए गए हैं।

निगमित नियंत्रण :

निदेशक-मंडल :

वर्ष के दौरान बोर्ड की चार बैठकें हुईं। वर्ष 2008-09 के दौरान, बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य थे :

श्री रघु मेनन - अध्यक्ष
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नैसिल

श्री एन. वघुल - निदेशक
अध्यक्ष, आईसीआईसीआई बैंक

श्रीमती विलासिनी रामचन्द्रन - निदेशक
अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार
नागर विमानन मंत्रालय

श्री आर.के. सिंह - निदेशक
संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय (16.02.2009 तक)

श्री प्रशांत नारायण सुकुल - निदेशक
संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय (16.02.2009 से)

इस समय बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य हैं :

श्री अरविन्द जाधव अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नैसिल	-	अध्यक्ष
श्री ई.के. भारत भूषण संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	-	निदेशक
श्री प्रशांत नारायण सुकुल संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	-	निदेशक
श्री एन. वघुल पूर्व अध्यक्ष, आईसीआईसीआई बैंक	-	निदेशक

दिनांक 20 मई, 2009 से श्री रघु मेनन कंपनी के अध्यक्ष नहीं रहे और श्री अरविन्द जाधव ने उसी तारीख से अध्यक्ष का पद संभाला। दिनांक 20 मई, 2009 से श्रीमती विलासिनी रामचन्द्रन के स्थान पर श्री ई.के. भारत भूषण, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया गया।

श्री रघु मेनन, अध्यक्ष - एआईएटीएसएल तथा निदेशक के रूप में श्रीमती विलासिनी रामचन्द्रन तथा श्री आर.के. सिंह द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान दी गई अमूल्य सेवाओं के लिए बोर्ड सराहना करता है।

लेखा-परीक्षक :

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए मैसर्स पी डी कपूर एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक नियुक्त किए गए।

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट :

सांविधिक लेखा-परीक्षकों की टिप्पणियां तथा इस पर प्रबंधन के उत्तर अनुलग्नक-1 में दिए गए हैं।

लेखा-परीक्षा समिति :

चूंकि, कंपनी की प्रदत्त पूंजी पांच करोड़ रुपए से कम है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292क के अनुसार कंपनी के लिए लेखा-परीक्षा समिति का होना जरूरी नहीं है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी को अपनाना, विदेशी विनिमय अर्जन और व्यय :

निर्दिष्ट मामलों पर कोई विवरण संलग्न नहीं किया गया है, क्योंकि कंपनी केवल ग्राउंड हैंडलिंग गतिविधियों में लगी हुई थी।

कर्मचारियों का विवरण :

कोई भी ऐसे कर्मचारी नहीं थे, जो वर्ष भर नियोजित रहे और जिन्हें 2 लाख रुपए प्रति माह या 24 लाख रुपए प्रति वर्ष पारिश्रमिक मिला हो। अतः इस संबंध में कोई विवरण संलग्न नहीं किया गया है।

<u>31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लेखों की समीक्षा तथा कंपनी के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां</u> :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपनी तारीख 30 नवम्बर, 2009 की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निर्णय लिया है । अतः कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत कोई टिप्पणी नहीं है तथा इसे अनुलग्नक-II में संलग्न किया गया है ।

<u>आभार</u> :

निदेशक-मंडल, नैसिल, नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कार्यालय तथा अन्य विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त सहायता और सहयोग के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करता है ।

कृते एवं निदेशक-मंडल की ओर से

हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 22 दिसम्बर, 2009

एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए **एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है । कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा विहित लेखा-परीक्षण एवं आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा-परीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है । यह उनकी दिनांक 11 नवम्बर, 2009 की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार किया हुआ बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए **एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड** के लेखों पर सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निर्णय लिया है । अतः कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत कोई टिप्पणी नहीं है ।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता./-
सरित जफा
प्रधान निदेशक-वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा एवं
पदेन सदस्य लेखा-परीक्षा बोर्ड II, मुंबई

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 नवम्बर, 2009

एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

1) हमने 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के संलग्न तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण की लेखा-परीक्षा की है, जिसे इस रिपोर्ट के संदर्भ में हमने हस्ताक्षरित किया है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। इन वित्तीय विवरणों पर लेखा-परीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करना हमारी ज़िम्मेदारी है।

2) हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-परीक्षण मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा इस प्रकार योजनाबद्ध और कार्यबद्ध करें कि इस आशय का उचित आश्वासन मिल जाए कि वित्तीय विवरणों में कोई तथ्यपरक गलत विवरण नहीं है। लेखा-परीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और खुलासों का समर्थन करने वाले प्रमाणों का परीक्षण करना शामिल है। लेखा-परीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों का निर्धारण करने के साथ-साथ प्रस्तुत समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमने जो अपनी राय व्यक्त की है, हमारी लेखा-परीक्षा में उसका एक उचित आधार विद्यमान है।

3) कंपनी अधिनियम, 1956 ('अधिनियम') की धारा 227 की उपधारा (4क) के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 यथा संशोधित ('आदेश') के अनुसार यथापेक्षित और हमारी राय में यथोचित जांच-परीक्षणों तथा लेखा-परीक्षा के दौरान, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों पर हम अनुलग्नक में विवरण संलग्न कर रहे हैं।

4) निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है :

क. **कंपनी, अनुसूची सं. 11 की टिप्पणी संख्या 3 में यथा संदर्भित कुछ लेखों के शेष के समाधान प्राप्त कर रही है।**

ख. **अनुसूची सं. 11 की टिप्पणी संख्या 6 में यथा संदर्भित, पूरे वर्ष में होल्डिंग कंपनी मैसर्स नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रदान की गई हैंडलिंग सेवा के राजस्व को समय के भीतर मान्यता नहीं दी गई है।**

ग. **कंपनी, अनुसूची सं. 11 की टिप्पणी संख्या 7 में यथा संदर्भित सेवा कर रिकॉर्ड का समाधान कर रही है।**

5) उपर्युक्त पैरा 3 में संदर्भित अनुलग्नक में अपनी टिप्पणियों के अतिरिक्त हम निम्नानुसार रिपोर्ट देते हैं :

क. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ख. विधि द्वारा अपेक्षित, कंपनी के केन्द्रीय लेखा कार्यालय, मुंबई में अब तक रखी गई इन लेखा-बहियों, जिनमें कंपनी के स्टेशनों से प्राप्त लेखा विवरणियों और बाह्य स्रोत एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टें समाहित हैं, के परीक्षण के आधार पर हमारी राय यह है कि ये हमारी लेखा-परीक्षा के लिए सामान्यतया पर्याप्त हैं।

ग. जिस तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखे के संबंध में यह रिपोर्ट दी जा रही है, वे लेखा-बहियों के अनुरूप हैं।

घ. हमारी राय में ऊपर पैरा 4 (ख) में बताए गए को छोड़कर, जिस तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखे के संबंध में यह रिपोर्ट दी जा रही है, वे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा 3 (ग) में संदर्भित लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं।

ङ. यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित एक सरकारी कंपनी है। इसे विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 2/5/2001/सीवी.वी, दिनांक 22 मार्च, 2002 के सामान्य परिपत्र सं. 8/2002 द्वारा अधिनियम की धारा 274 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के उपबंधों की अनुप्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।

च. चूंकि, केन्द्र सरकार द्वारा धारा 441 ए के अंतर्गत देय उपकर को अभी अधिसूचित किया जाना है, अतः कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (3)(छ) की रिपोर्टिंग अपेक्षा लागू नहीं होती।

छ. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखे उन पर दी गई टिप्पणियों सहित और उपर्युक्त पैरा 4 में दी गई हमारी अभ्युक्तियों के अधीन कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत यथापेक्षित तरीके से भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप हैं और सभी आवश्यक सूचनाएं देते हैं तथा निम्नलिखित के संबंध में सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं :

i. तुलन-पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2009 को कंपनी के क्रियाकलापों की स्थिति ;

ii. लाभ और हानि लेखे के मामले में, उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की हानि का; और

iii. नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी का नकदी प्रवाह

कृते पी डी कपूर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता/-
सपना कपूर
भागीदार
सदस्यता सं. 501000

स्थान : चेन्नई
तारीख : 11 नवंबर, 2009

लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के पैरा (3) के अनुसार

1) क) कंपनी की अचल परिसंपत्तियों के संबंध में मात्रात्मक विवरणों और स्थितियों सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए कंपनी ने उचित रिकॉर्ड रखे हैं।

ख) प्रबंधन द्वारा यथोचित अंतरालों पर अचल परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष जांच की गई और ऐसी जांचों के दौरान कोई विसंगतियां नहीं पाई गईं।

ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान, कोई अचल परिसंपत्तियां नहीं बेची हैं।

2) हमें सूचित किया गया है कि कंपनी के प्रचालनों की प्रकृति ऐसी है कि उसके लिए कोई माल-सूची रखना / शामिल करना अपेक्षित नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 4(ii) लागू नहीं होता।

3) क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को किसी भी प्रकार का रक्षित या अरक्षित ऋण नहीं दिया है।

ख) चूंकि, कंपनी ने कोई भी ऋण नहीं दिया है, ब्याज की दर और ऋणों के अन्य निबंधन और शर्तों के कंपनी के हितों के प्रतिकूल होने / नियमित मूल और ब्याज की प्राप्ति तथा मूल और ब्याज की वसूली के लिए किए गए यथोचित उपायों पर टिप्पणी करने का प्रश्न नहीं उठता।

ग) केवल होल्डिंग कंपनी मैसर्स नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ चालू खाता है, जहां वर्ष के दौरान 'ऑन एकाउंट' आधार पर नियमित रूप से निधि प्राप्त होती रही, को छोड़कर, कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियो, फर्मों या अन्य पक्षकारों से रक्षित या अरक्षित कोई ऋण नहीं लिया है।

घ) हमारी राय में उक्त ऋणों के निबंधन और शर्तें, प्रथम दृष्ट्या, कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।

ङ) वर्ष के अंत में इस लेखे में डेबिट बैलेंस रु. 3,59,87,186/- (पिछले वर्ष डेबिट बैलेंस रु. 4,08,73,624/-) था, क्योंकि कंपनी ने अपने द्वारा निर्मित बीजकों का मूल्य उक्त कंपनी के लेखे में डेबिट किया।

4) हमारे द्वारा परीक्षित रिकार्डों और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को कंपनी के आकार के अनुरूप बनाने के लिए उसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

5) क) हमारे द्वारा प्रयुक्त लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी राय में, अधिनियम की धारा 301 में उल्लिखित किसी भी संविदा और व्यवस्था का विवरण नहीं है, जिन्हें उस धारा के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज करना जरूरी हो।

ख) अतः ऐसी संविदाओं या व्यवस्थाओं के अनुसरण में, संगत समय पर प्रचलित बाज़ार कीमतों को ध्यान में रखते हुए यथोचित कीमतों पर किए गए सौदों पर टिप्पणी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

6) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। इसलिए अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ पठित धारा 58क और 58कक के उपबंध या कोई अन्य संबद्ध उपबंध लागू नहीं होते हैं।

7) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के आकार और उसके कारोबार के स्वरूप के अनुरूप आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली विद्यमान है।

8) हमें सूचित किया गया है कि केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 की उप धारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत कंपनी द्वारा की जा रही व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में लागत रिकार्डों का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 4 (viii) लागू नहीं होता।

9) क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा लेखा-बहियों और अन्य रिकार्डों के हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी उसे लागू अविवादित सांविधिक देय राशियां उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा करने में साधारणतया नियमित है और 31 मार्च, 2009 को देय होने की तारीख से छह माह से अधिक अवधि के लिए ***व्यवसाय कर रु. 3,55,068 (पिछले वर्ष रु. 1,30,831/-)*** को छोड़कर आयकर, सेवा कर, भविष्य-निधि, उपकर और अन्य सांविधिक देय राशियों के संबंध में कोई भी अविवादित देय राशियां बकाया नहीं थीं। इसी क्रम में हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार अधिनियम की धारा 441ए के अंतर्गत देय उपकर की राशि को केन्द्र सरकार ने अब तक निर्धारित नहीं किया है। अतः इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा परीक्षित रिकार्डों के आधार पर आयकर, सेवा कर, भविष्य-निधि, उपकर और अन्य सांविधिक देय राशियों के संबंध में कोई भी देय राशियां किसी विवाद के कारण बकाया नहीं हैं।

10) कंपनी के पंजीकरण की अवधि पांच वर्षों से कम नहीं है। रिपोर्ट किए जाने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी की संचित हानि इसके निवल-मूल्य के पचास प्रतिशत से कम नहीं है। कंपनी को रिपोर्ट किए जाने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि हुई है तथा इसके ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष में भी नकद हानि हुई है।

11) कंपनी ने न तो किन्हीं वित्तीय संस्थानों और / या बैंकों से कोई ऋण लिए हैं, न ही कोई डिबेंचर जारी किया है। अतः रिपोर्ट किए जाने वाले वर्ष के लिए कंपनी पर आदेश का खंड 4 (xi) लागू नहीं होता।

12) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण और अग्रिम स्वीकृत नहीं किए हैं। तदनुसार, रिपोर्ट किए जाने वाले वर्ष के लिए कंपनी पर आदेश का खंड 4 (xii) लागू नहीं होता है।

13) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, चिट फंड, निधि या म्युचुअल लाभ निधि / सोसायटी पर लागू विशेष परिनियम के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होते।

14) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा किए गए रिकार्डों के परीक्षणों के आधार पर, कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशों में लेन-देन या सौदा नहीं करती। तदनुसार, आदेश का खंड 4 (xiv) लागू नहीं होता।

15) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने दूसरों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है। तदनुसार, आदेश का खंड 4 (xv) लागू नहीं होता।

16) कंपनी ने वर्ष के दौरान, कोई सावधि ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 4 (xvi) लागू नहीं होता।

17) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा परीक्षित रिकार्डों के आधार पर हम रिपोर्ट देते हैं कि कंपनी ने दीर्घावधि निवेशों के लिए लघु अवधि पर कोई निधि प्रयुक्त नहीं की है।

18) वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों का कोई अधिमान्य आबंटन नहीं किया है, अतः आदेश का खंड 4 (xviii) लागू नहीं होता।

19) कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 4 (xix) लागू नहीं होता।

20) कंपनी ने पब्लिक इश्यू द्वारा कोई धन नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 4 (xx) लागू नहीं होता।

21) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निष्पादित लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं तथा हमारे द्वारा बहियों और अन्य रिकार्डों के परीक्षण के आधार पर वर्ष के दौरान कंपनी में या कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला न तो पाया गया और न ही सूचित किया गया।

कृते पी डी कपूर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता/-
सपना कपूर
भागीदार
सदस्यता सं. 501000

स्थान : चेन्नई
तारीख : 11 नवंबर, 2009

अनुलग्नक-1

वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट तथा उस पर प्रबंधन की टिप्पणियां :

क्र.सं.	लेखा-परीक्षा अभिमत	प्रबंधन की टिप्पणियां
1	**पैरा सं. 4क** कंपनी, अनुसूची सं. 11 की टिप्पणी संख्या 3 में यथा संदर्भित कुछ लेखों के शेष के समाधान प्राप्त कर रही है।	विविध लेनदार लेखों में शेष का समाधान सतत चलने वाली प्रक्रिया है ।
2	**पैरा सं. 4ख** अनुसूची सं. 11 की टिप्पणी संख्या 6 में यथा संदर्भित, पूरे वर्ष में होल्डिंग कंपनी मैसर्स नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रदान की गई हैंडलिंग सेवा के राजस्व को समय के भीतर मान्यता नहीं दी गई है।	वित्तीय वर्ष 2009-10 में सुधारात्मक कार्रवाई की गई ।
3	**पैरा सं. 4ग** कंपनी, अनुसूची सं. 11 की टिप्पणी संख्या 7 में यथा संदर्भित सेवा कर रिकॉर्ड का समाधान कर रही है।	सेवा कर रिकॉर्ड का समाधान सतत चलने वाली प्रक्रिया है ।

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि रुपए में)

विवरण	अनुसूची	31 मार्च, 2009	31 मार्च, 2008
निधियों का स्रोत :			
शेयरधारकों की निधियां :			
शेयर पूंजी	1	5,00,000	5,00,000
आस्थगित कर देयता		9,180	15,311
कुल		5,09,180	5,15,311
निधियों का उपयोग :			
अचल परिसंपत्तियां :	2		
सकल ब्लॉक		1,35,323	1,35,323
मूल्यह्रास ब्लॉक		1,09,680	87,744
निवल ब्लॉक		25,643	47,579
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम :			
विविध देनदार	3	6,66,10,728	5,04,37,702
नकदी और बैंक शेष	4	39,96,946	14,40,893
ऋण और अग्रिम	5	3,54,93,120	2,01,18,030
		10,61,00,794	7,19,96,625
घटाएं :			
वर्तमान देयताएं	6	12,47,32,669	8,87,93,478
प्रावधान	7	78,52,151	5,26,248
		13,25,84,819	8,93,19,726
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां		(2,64,84,025)	(1,73,23,101)
विविध व्यय :			
बट्टे खाते में नहीं डाले गए या समायोजित न किए गए परिमाण तक प्रारंभिक व्यय	8	33,40,750	40,08,900
लाभ और हानि लेखा		2,36,26,812	1,37,81,933
कुल		5,09,180	5,15,311
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां	11		
तुलन-पत्र का सार और कंपनी के सामान्य कारोबार की रूपरेखा	12		

उपर्युक्त अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग निर्मित करती हैं।
हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी डी कपूर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
सपना कपूर
भागीदार
सदस्यता सं. 501000

स्थान : चेन्नई
तारीख : 11 नवंबर, 2009

कृते एवं निदेशक-मंडल की ओर से

हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

हस्ता./-
प्रशांत सुकुल
निदेशक

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि लेखा

(राशि रुपए में)

विवरण	अनुसूची	2008 - 09	2007 - 08
आय :			
हैंडलिंग सेवा से राजस्व		597,792,423	306,324,034
अन्य आय		1,531,671	1,715,421
कुल		599,324,094	308,039,455
व्यय :			
हैंडलिंग एवं प्रचालनात्मक व्यय		201,819,232	162,812,737
कार्मिक व्यय	9	399,358,565	151,342,589
कार्यालय, स्थापना और प्रशासनिक व्यय	10	6,830,998	4,308,299
कुल		608,008,795	318,463,625
वर्ष के लिए प्रचालनगत लाभ/(हानि)		(8,684,701)	(10,424,170)
मूल्यह्रास		21,936	21,936
बट्टे खाते में डाला गया प्रारंभिक व्यय		668,150	668,150
कर एवं पूर्वावधि मदों से पहले निवल लाभ/(हानि)		(9,374,787)	(11,114,256)
घटाएं : पूर्वावधि मदें		-	22,460
कर पूर्व एवं पूर्वावधि मदों के पश्चात निवल लाभ/(हानि)		(9,374,787)	(11,136,716)
घटाएं :			
आय कर के लिए प्रावधान-वर्तमान वर्ष		453,492	-
फ्रिंज बेनिफिट कर के लिए प्रावधान-वर्तमान वर्ष		9,393	26,248
पिछले वर्षों के लिए प्रदत्त आयकर/टीडीएस		13,339	6,754
पिछले वर्षों के लिए फ्रिंज बेनिफिट कर		-	10,903
		(9,851,010)	(11,180,621)
जोड़ें : प्रतिवर्तित/(प्रवर्तित) आस्थगित कर देयता		6,131	5,173
कर प्रभाव के बाद वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि)		(9,844,879)	(11,175,448)
पिछले वर्ष से अग्रानीत शेष		(13,781,933)	(2,606,485)
तुलन-पत्र में अग्रेनीत शेष		(23,626,812)	(13,781,933)
प्रति शेयर अर्जन		(197)	(224)
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां	11		
तुलन पत्र का सार और कंपनी के सामान्य कारोबार की रूपरेखा	12		

उपर्युक्त अनुसूचियां लाभ एवं हानि लेखे का एक अभिन्न भाग निर्मित करती हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी डी कपूर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

कृते एवं निदेशक-मंडल की ओर से

हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-
सपना कपूर	अरविन्द जाधव	प्रशांत सुकुल
भागीदार	अध्यक्ष	निदेशक
सदस्यता सं. 501000		

स्थान : चेन्नई
तारीख : 11 नवंबर, 2009

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रुपए में)

विवरण			2008-09	2007-08
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
कराधान पूर्व निवल लाभ/(हानि) :			(9,374,787)	(11,136,716)
जोड़ें : गैर-नकदी मदों के लिए समायोजन :				
मूल्यह्रास			21,936	21,936
बट्टे खाते में डाला गया प्रारंभिक व्यय			668,150	668,150
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ			(8,684,701)	(10,446,630)
कर योग्य मदें			(476,224)	(43,903)
कर प्रभाव के पश्चात् निवल लाभ	(क)		(9,160,924)	(10,490,533)
विविध देनदारों में कमी/(वृद्धि)			(16,173,026)	(21,112,985)
ऋणों और अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)			(15,375,090)	(10,159,225)
वर्तमान देयताओं एवं प्रावधानों में कमी/(वृद्धि)			43,265,093	42,506,333
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन	(ख)		11,716,977	11,234,123
प्रचालन से निवल नकदी (बहिर्वाह) / अंतर्वाह	(क+ख)	(क)	2,556,053	743,589
ख. निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह		(ख)	-	-
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		(ग)	-	-
नकदी और नकदी समानकों में निवल वृद्धि / (कमी)		(क+ख+ग)	2,556,053	743,589
01.04.2008 को नकदी और नकदी समानकों का प्रारंभिक शेष			1,440, 893	697,304
जोड़ें: नकदी और नकदी समानकों में निवल वृद्धि			2,556,053	743,589
31.03.2009 को नकदी और नकदी समानकों का अंतिम शेष			3,996,946	1,440,893

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी डी कपूर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
सपना कपूर
भागीदार
सदस्यता सं. 501000

कृते एवं निदेशक-मंडल की ओर से

हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

हस्ता./-
प्रशांत सुकुल
निदेशक

स्थान : चेन्नई
तारीख : 11 नवंबर, 2009

तुलन-पत्र के भाग के रूप में संलग्न अनुसूचियां

अनुसूची 1 : शेयर पूंजी :

(राशि रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2009	31 मार्च, 2008
प्राधिकृत शेयर पूंजी			
प्रत्येक 10/-रुपए के 9,00,00,000 इक्विटी शेयर		900,000,000	900,000,000
प्रत्येक 100/-रुपए के 10,00,000 निष्क्रेय अधिमान शेयर		100,000,000	100,000,000
(पिछले वर्ष वही स्थिति)			
	कुल	1,000,000,000	1,000,000,000
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी			
प्रत्येक 10/-रुपए के 50,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर		500,000	500,000
(संपूर्ण शेयर पूंजी कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित कंपनी नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा उसके नामितियों द्वारा धारित है)			
(पिछले वर्ष वही स्थिति)	कुल	500,000	500,000

अनुसूची 2 : अचल परिसंपत्तियां :

(राशि रुपए में)

विवरण	सकल ब्लॉक			मूल्यह्रास ब्लॉक			निवल ब्लॉक	
	31.03.2008 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	31.03.2009 को	31.03.2008 तक	वर्ष का मूल्यह्रास	31.03.2009 तक	31.03.2009 को ह्रासित मूल्य	31.03.2008 को ह्रासित मूल्य
कम्प्यूटर एवं प्रिंटर	135,323	-	135,323	87,744	21,936	109,680	25,643	47,579
कुल	135,323	-	135,323	87,744	21,936	109,680	25,643	47,579
पिछले वर्ष	135,323	-	135,323	65,808	21,936	87,744	47,579	91,451

अनुसूची 3 : विविध देनदार :

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2009	31 मार्च, 2008
विविध देनदार		
(अरक्षित लेकिन प्रबंधन द्वारा शोध्य माने गए)		
I. छह माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण		
एअर इंडिया सैट्स बैंगलुरू - सहयोगी फर्म से	77,442	-
II. अन्य ऋण		
नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लि. - होल्डिंग कंपनी से	35,987,186	40,873,624
एअर इंडिया सैट्स बैंगलुरू - सहयोगी फर्म से	16,726,746	1,233,464
एअर इंडिया सैट्स हैदराबाद - सहयोगी फर्म से	13,819,354	8,330,614
कुल	66,610,728	50,437,702

नोट : कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 की उप-धारा (1ख) के आशय के अंतर्गत उक्त ऋण उसी प्रबंधन के अधीन कंपनियों/फर्मों से प्राप्य हैं।

अनुसूची 4 : नकदी और बैंक शेष :

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2009	31 मार्च, 2008
हाथ में नकदी	1,842	3,516
बैंक शेष :		
अनुसूचित बैंक के चालू खाते में	3,995,104	1,437,377
कुल	3,996,946	1,440,893

अनुसूची 5 : ऋण एवं अग्रिम :

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2009	31 मार्च, 2008
(अरक्षित लेकिन प्रबंधन द्वारा शोध्य माने गए)		
अग्रिम वसूली योग्य नकद या वस्तु के रूप में या जिसका मूल्य प्राप्त किया जाना हो :		
प्रतिभूति जमा	324,000	324,000
डीडी रद्दकरण की लंबित प्राप्ति	13,630	-
अदा किया गया आयकर	-	13,339
अग्रिम फ्रिंज बेनिफिट कर	53,511	25,245
स्रोत पर काटा गया कर	28,580,091	13,960,642
जमा किए गए चैक, जो समाशोधित नहीं हुए	32,500	-
सेवा कर - निविष्टि जमा - अंतरिम	6,489,388	5,794,804
कुल	35,493,120	20,118,030

अनुसूची 6 : वर्तमान देयताएं :

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2009	31 मार्च, 2008
विविध लेनदार - हैंडलिंग प्रभार	61,937,356	52,669,680
विविध लेनदार - अन्य व्यय	40,109,570	23,282,162
देय व्यावसायिक कर	831,976	454,052
देय भविष्य निधि और ईडीएलआई प्रभार	2,544,449	977,485
बयाना राशि/प्रतिभूति जमा	970,000	1,820,000
देय सेवा कर प्रतिफल-अंतरिम	9,278,199	8,553,132
देय सेवा कर प्रतिफल-वास्तविक	2,863,086	-
स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस) - देय	1,800,240	1,036,967
जारी किए गए चैक, जिन्हें भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया	4,397,793	-
कुल	124,732,669	88,793,478

अनुसूची 7 : प्रावधान :

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2009	31 मार्च, 2008
उपदान के लिए प्रावधान	5,453,318	-
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	1,935,948	500,000
आयकर के लिए प्रावधान	453,492	-
फ्रिंज बेनिफिट कर के लिए प्रावधान	9,393	26,248
कुल	7,852,151	526,248

अनुसूची 8 : प्रारंभिक व्यय :

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2009	31 मार्च, 2008
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	4,008,900	4,677,050
घटाएं :		
वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया	668,150	668,150
कुल	3,340,750	4,008,900

लाभ और हानि लेखे के भाग के रूप में संलग्न अनुसूचियां

अनुसूची 9 : कार्मिक व्यय :

(राशि रुपए में)

विवरण	2008-09	2007-08
वेतन	370,217,284	137,722,639
बोनस	8,649,711	7,039,093
भविष्य-निधि एवं ईडीएलआई प्रभार	14,945,223	6,326,667
उपदान	5,453,318	-
प्रशिक्षण व्यय	48,427	90,000
यूनिफॉर्म व्यय	44,602	1,64,190
कुल	399,358,565	151,342,589

अनुसूची 10 : कार्यालय, स्थापना और प्रशासनिक व्यय :

(राशि रुपए में)

विवरण	2008-09	2007-08
भरती व्यय	3,552,449	1,247,773
किराया	412,102	453,600
जल प्रभार	533,067	484,743
बिजली प्रभार	1,471,595	1,070,628
संपत्ति कर	206,447	-
संचार व्यय	52,846	21,649
सवारी व्यय	48,471	176,141
दरें, शुल्क एवं कर	6,452	2,630
यात्रा व्यय	110,764	7,578
कर्मचारी कल्याण व्यय	-	20,710
डाक और कुरियर प्रभार	32,711	21,819
मुद्रण और लेखन-सामग्री	8,173	1,855
कार्यालय व्यय	127,039	134,519
विज्ञापन व्यय	71,976	474,395
बैंक प्रभार	10,235	478
व्यावसायिक कर पर ब्याज	-	7,392
एफबीटी पर ब्याज	-	3,955
व्यावसायिक एवं परामर्श शुल्क	56,188	49,446
विधिक व्यय	2,500	-
विविध व्यय	2,983	36,489
सांविधिक लेखा-परीक्षक को पारिश्रमिक :		
- लेखा-परीक्षा शुल्क	100,000	75,000
- जेब खर्च की प्रतिपूर्ति	10,000	7,500
कर लेखा-परीक्षक को पारिश्रमिक :		
- कर लेखा-परीक्षा शुल्क	15,000	10,000
कुल	6,830,998	4,308,299

अनुसूची 11 : महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां एवं लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां :

क. लेखाकरण परिपाटी

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत तैयार किए जाते हैं और सारा व्यय, जिसकी वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण स्थिति है, उपचय के आधार पर स्वीकार किया जाता है। वित्तीय विवरण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू अनिवार्य लेखाकरण मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 के संबद्ध उपबंधों का अनुपालन करते हैं।

ख. अचल परिसंपत्तियां

i) अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण की लागत पर दर्शाई जाती हैं।

ii) अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की व्यवस्था स्ट्रेट लाइन पद्धति से कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में विहित दरों पर और विनिर्दिष्ट तरीके से की जाती है।

ग. राजस्व मान्यता

जब सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो उसे राजस्व माना जाता है।

घ. सेवानिवृत्ति लाभ

भविष्य निधि का अंशदान मान्य भविष्य निधि में किया जाता है और वर्ष के लाभ एवं हानि में प्रभारित किया जाता है।

सभी पात्र कर्मचारियों के संबंध में उपदान एवं छुट्टी के नकदीकरण के प्रावधान को तुलन-पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।

ङ. करों के लिए प्रावधान

i. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेबी के अनुसरण में न्यूनतम वैकल्पिक कर हेतु प्रावधानों सहित, आयकर अधिनियम, 1961 के लागू उपबंधों के अनुसार, संबद्ध निर्धारण वर्ष के लिए संबंधित कर विवरणी फाइल करने हेतु आयकर एवं फ्रिंज बेनिफिट कर का प्रावधान प्रबंधन द्वारा तैयार परिकलन के आधार पर किया गया है। कर देयता, यदि कोई हो तो, के बारे में नियमित मूल्यांकन के परिणामस्वरूप तथा आयकर वापसी पर ब्याज के संबंध में भुगतान/प्राप्ति के वर्ष में विचार किया गया है।

ii. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक-22 के अनुसरण में आय पर करों के लिए लेखाकरण लागू है। तुलन-पत्र की तारीख को कर दरों और लागू विधियों या लागू होने वाली विधियों का प्रयोग करके बही खाते और कर योग्य लाभ के बीच समय अंतर के आधार पर आस्थगित कर को मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है और अग्रानीत किया जाता है, जहां तक भविष्य में ऐसी परिसंपत्तियों के उगाही की युक्तिसंगत निश्चितता हो।

च. **पूर्वावधि मदें**

चालू अवधि में उद्भूत एक या अधिक पूर्वावधि के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में हुई भूल-चूक के परिणामस्वरूप आय और व्यय को पूर्वावधि मदों के रूप में माना जाता है और उन्हें वित्तीय विवरणों में अलग से दर्शाया जाता है।

छ. **प्रारंभिक व्यय**

प्रारंभिक व्ययों का 10 वर्षों की अवधि में स्ट्रेट लाइन आधार पर क्रमिक अपाकरण किया जाता है।

II. **लेखों पर टिप्पणी :**

1. **प्रासंगिक देयताएं**

प्रासंगिक देयताओं की व्यवस्था नहीं की गई है। 31 मार्च, 2009 को प्रासंगिक देयताएं शून्य रुपए थीं (पिछले वर्ष शून्य रुपए)।

2. होल्डिंग कंपनी अर्थात् नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा अन्य ग्राहकों के लिए वर्ष के दौरान कंपनी, एअरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग के साथ यात्री हैंडलिंग, रैम्प हैंडलिंग, सुरक्षा हैंडलिंग तथा कार्गो हैंडलिंग की सेवाएं प्रदान कर रही है।

3. विविध लेनदारों के व्यय में रु. 622,57,298/- (पिछले वर्ष रु. 5,36,46,520/-) शामिल हैं, जिसके लिए कंपनी शेष राशि का समाधान कर रही है। लाभ और हानि लेखा तथा तुलन-पत्र की प्रासंगिक मदों पर लंबित समाधान/शेष पुष्टि न होने के कारण, यदि समायोजन पर कोई प्रभाव पड़ता हो, तो वर्तमान में उसका पता नहीं लगाया जा सका है।

4. रु. 86,49,711/- की बोनस राशि इसके पात्र कर्मचारियों के संबंध में वर्तमान वर्ष की सांविधिक बोनस की राशि है; जबकि इसका तदनुरूपी आंकड़ा पिछले वर्ष में रु. 70,39,093/- था, जो दो वर्षों के लिए अर्थात् वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए रु. 31,40,573/- और 2007-08 के लिए रु. 38,98,520/- है।

5. **कर्मचारी लाभ**

कंपनी ने कर्मचारियों को उपलब्ध विभिन्न लाभों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया है :

i) परिभाषित अंशदान योजना

क) भविष्य निधि

उपर्युक्त लाभ पर हुए खर्चों को व्यक्तिगत खर्चों की अनुसूची 9 में शामिल किया गया है।

ii) परिभाषित लाभ योजना

क) उपदान

ख) अनुपस्थितियां, जिनके लिए मुआवज़ा दिया गया - अर्जित छुट्टियां

प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करके लेखाकरण मानक एएस15 (परिशोधित 2005) के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन उपर्युक्त परिभाषित लाभ योजना के संबंध में बीमांकिक से प्राप्त किया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

(लाख रुपए में)

क्र.सं.		उपदान अनिधियित	छुट्टी नकदीकरण अनिधियित
I.	**नियोक्ता के व्यय के घटक**		
1.	वर्तमान सेवा लागत	54.53	19.36
2.	ब्याज लागत	-	-
3.	योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ	-	-
4.	कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
5.	निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
6.	पूर्व सेवा लागत	-	-
7.	मान्यताप्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-
8.	लाभ / हानि विवरण में मान्यताप्राप्त व्यय	54.53	14.36
II.	**31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए वास्तविक प्रतिलाभ**	-	-
III.	**31 मार्च, 2009 को तुलन-पत्र में मान्यताप्राप्त निवल (परिसंपत्ति)/ देयता**		
1.	परिभाषित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	54.53	19.36
2.	योजना परिसंपत्तियों पर सही मूल्य	-	-
3.	स्थिति (अधिशेष / घाटा)	54.53	19.36
4.	गैर-मान्यताप्राप्त पिछली सेवा की लागत	-	-
5.	तुलन-पत्र में मान्यताप्राप्त निवल (परिसंपत्तियां) / देयता	54.53	19.36
IV.	**31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान परिभाषित लाभ बाध्यता (डीबीओ) में परिवर्तन**		
1.	वर्ष के आरंभ में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	-	-
2.	वर्तमान सेवा लागत	54.53	19.36
3.	ब्याज लागत	-	-
4.	कटौती लागत	-	-
5.	निपटान लागत	-	-
6.	योजना संशोधन	-	-
7.	अर्जन	-	-

(लाख रुपए में)

क्र.सं.		उपदान अनिधियित	छुट्टी नकदीकरण अनिधियित
8.	बाध्यता पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-
9.	प्रदान किए गए हितलाभ	-	-
10.	वर्ष की समाप्ति पर बाध्यता का वर्तमान मूल्य	54.53	19.36
V.	**31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों के सही मूल्य में परिवर्तन**		
1.	वर्ष के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य	-	-
2.	अर्जन समायोजन	-	-
3.	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	-	-
4.	योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-
5.	अंशदान	-	-
6.	प्रदान किए गए हितलाभ	-	-
7.	वर्ष की समाप्ति पर योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
VI.	**बीमांकिक अनुमान**		
1.	मृत्यु दर	जीवन बीमा निगम (1994-96) की अंतिम तालिका के अनुसार	
2.	सेवानिवृत्ति अथवा अपंगता	58 वर्ष	58 वर्ष
3.	छूट दर	6.25%	6.25%
4.	मुद्रास्फीति दर	5%	5%
5.	परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ	-	-
VII.	**31 मार्च, 2009 को कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणी**		
1.	सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2.	विशेष जमा योजना	-	-
3.	उच्च गुणवत्ता निगमित ऋण	-	-
4.	बीमा कंपनियां	-	-
5.	नकद एवं नकद तुल्य	-	-

6. कंपनी संपूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न एअरपोर्टों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान कर रही है । होल्डिंग कंपनी नैसिल को प्रदान की गई उक्त सेवाओं के लिए राजस्व की मान्यता केवल फरवरी, 2009 तथा मार्च, 2009 में दी गई है ।

7. विभिन्न पक्षकारों से प्राप्त / को किए गए वास्तविक भुगतान की तुलना में इनपुट सेवाओं पर सेवा कर देयता एवं सेनवेट क्रेडिट को निर्धारित करने के लिए कंपनी अपने सेवा कर अभिलेखों का समाधान कर रही है। लाभ और हानि लेखा तथा तुलन-पत्र की प्रासंगिक मदों पर लंबित समाधान के कारण, यदि समायोजन पर कोई प्रभाव पड़ता हो, तो वर्तमान में उसका पता नहीं लगाया जा सका है।

8. **सैगमेंट अनुसार सूचना**

लेखाकरण मानक-17 में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांत के आधार पर, कंपनी एअरलाइनों को ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने का कार्य करती है, जो इसका मुख्य व्यवसाय है। कंपनी के प्रचालन सिर्फ भारत में हैं। वित्तीय विवरणों में पहले ही दिए गए खुलासों के अलावा, अन्य किसी खुलासे की ज़रूरत नहीं है।

9. **संबद्ध पक्षकार लेन-देन**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक-18 'संबद्ध पक्षकार लेन-देन प्रकटीकरण' के बारे में यथापेक्षित खुलासे नीचे दिए गए हैं :

क. संबद्ध पक्षकार :-

(i) होल्डिंग कंपनी - मैसर्स नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

(ii) सहयोगी फर्म - मैसर्स एअर इंडिया सैट्स - हैदराबाद

(iii) सहयोगी फर्म - मैसर्स एअर इंडिया सैट्स - बैंगलुरू

(iv) ग्रुप कंपनी - मैसर्स एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड

(v) ग्रुप कंपनी - मैसर्स भारतीय होटल निगम लिमिटेड (शैफेयर)

(vi) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और संबंधी : श्री रघु मेनन, अध्यक्ष

ख. संबद्ध पक्षकार लेन-देन :-

लेखाकरण मानक-18 के पैरा 9 में उल्लिखित किए गए अनुसार संबद्ध पक्षकार से संबंधित तथा राज्य नियंत्रित उद्यमों के साथ लेन-देन का खुलासा नहीं किया गया है।

ग. वर्ष के अंत में कंपनी के निदेशकों अथवा अधिकारियों अथवा उनके रिश्तेदारों के पास ऋण अथवा जमा के कोई भी ऐसे लेन-देन बाकी नहीं थे, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन लेखों में बताया जाना अपेक्षित है।

10. **प्रति शेयर अर्जन :**

	2008-2009	2007-2008
i) वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि) (रुपए)	(98,44,879)	(1,11,75,448)
ii) इक्विटी शेयरों की संख्या	50,000	50,000
iii) प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपए)	10	10
iv) प्रति शेयर अर्जन मूल तथा तनूकृत (रुपए) प्रति शेयर	(197)	(224)

11. आस्थगित कर देयता

31 मार्च, 2009 को आस्थगित कर देयता में निम्नलिखित शामिल हैं :

	1 अप्रैल, 2008 को राशि (रुपए)	वर्ष के दौरान प्रभारित / जमा राशि (रुपए)	31 मार्च, 2009 को राशि (रुपए)
राशियों का कर प्रभाव, लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया गया है, लेकिन आयकर के अंतर्गत भावी वर्षों में अनुज्ञेय है।	शून्य	शून्य	शून्य
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अस्वीकृतियां	शून्य	शून्य	शून्य
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	शून्य	शून्य	शून्य
भावी वर्षों में लाभ और हानि लेखे में प्रभारित की जाने वाली राशियों का कर प्रभाव, लेकिन आयकर के अंतर्गत अनुज्ञेय है।	शून्य	शून्य	शून्य
मूल्यह्रास	(15,311)	6,131	(9,180)
कुल आस्थगित कर देयताए	(15,311)	6,131	(9,180)
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/ (देयताएं)	(15,311)	6,131	(9,180)

12. निदेशक-मंडल की राय में, वर्तमान परिसंपत्तियां एवं ऋण तथा अग्रिम को यदि सामान्य व्यवसाय के दौरान प्राप्त माना जाता है, तो उनका मूल्य तुलन-पत्र में उल्लिखित मूल्य से कम नहीं होना चाहिए तथा सभी ज्ञात देयताओं के लिए लेखा बहियों में प्रावधान किया गया है।

13. मैसर्स नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) द्वारा अपने कर्मचारियों के संबंध में, जो कंपनी में वर्ष के दौरान प्रतिनियुक्ति पर थे, प्रभार रु. 1,50,08,708/- को (पिछले वर्ष : शून्य रुपए) वर्तमान वर्ष के वेतन एवं मज़दूरी में शामिल किया गया है।

14. 31 मार्च, 2009 तक ऐसे कोई भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नहीं हैं, जिन्हें कंपनी द्वारा 45 दिनों से अधिक अवधि तक बकाया राशि देय हो और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार ऐसे किन्हीं उद्यमों को देय राशि के भुगतान में विलंब नहीं हुआ है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत यथापेक्षित उपर्युक्त सूचना ऐसे पक्षकारों को देना निर्धारित किया गया है, जिनकी पहचान कंपनी में उपलब्ध सूचना के आधार पर की गई है और लेखा-परीक्षकों द्वारा इस पर विश्वास किया गया है। (पिछले वर्ष : शून्य रुपए)

15. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग II के पैरा 4, 4क, 4ग और 4घ में निर्दिष्ट अन्य मामलों के अनुसरण में सूचना या तो शून्य है या वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है।

16. वर्ष के दौरान, विदेशी मुद्रा में कोई अर्जन या व्यय नहीं था।

17. वर्तमान वर्ष से तुलना करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हुआ है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित तथा पुनःव्यवस्थित किया गया है और / या फिर से लाया गया है।

कृते पी डी कपूर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

कृते एवं निदेशक-मंडल की ओर से

हस्ता./-
सपना कपूर
भागीदार
सदस्यता सं. 501000

हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

हस्ता./-
प्रशांत सुकुल
निदेशक

स्थान : चेन्नई
तारीख : 11 नवंबर, 2009

अनुसूची 12 : तुलन-पत्र का सार तथा कंपनी के सामान्य कारोबार की रूपरेखा :

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसरण में अतिरिक्त सूचना

I. पंजीकरण से संबंधित विवरण :

पंजीकरण संख्या		55-120790	राज्य कोड	:	55
तुलन-पत्र की दिनांक	:	31 मार्च, 2009			

II. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (राशि रुपए में)

पब्लिक इश्यू	:	शून्य	राइट इश्यू	:	शून्य
बोनस इश्यू	:	शून्य	प्राइवेट प्लेसमेंट	:	शून्य

III. निधियों का संग्रहण तथा नियोजन की स्थिति (राशि रुपए में)

कुल देयताएं	:	509,180	कुल परिसंपत्तियां	:	509,180
निधियों के स्रोत					
प्रदत्त पूंजी	:	500,000	आरक्षित निधियां तथा अधिशेष	:	शून्य
रक्षित ऋण	:	शून्य	अरक्षित ऋण	:	शून्य
			आस्थगित कर देयता	:	9,180
निधियों का उपयोग					
निवल अचल परिसंपत्तियां	:	25,643	निवेश	:	शून्य
निवल वर्तमान परिसंपत्तियां	:	(26,484,025)	विविध व्यय	:	3,340,750
संचित हानियां	:	23,626,812			

IV. कंपनी का निष्पादन (राशि रुपए में)

कुल आय	:	599,324,094	कुल व्यय	:	608,698,881
असाधारण मदें					
कर पूर्व लाभ	:	(9,374,787)	कर पश्चात् लाभ	:	(9,844,879)
प्रति शेयर अर्जन (मूल)	:	(197)			

V. कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों / सेवाओं के व्यापक नाम

उत्पाद विवरण : एअरलाइनों की ग्राउंड हैंडलिंग सेवा

कृते पी डी कपूर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
सपना कपूर
भागीदार
सदस्यता सं. 501000

कृते एवं निदेशक-मंडल की ओर से

हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

हस्ता./-
प्रशांत सुकुल
निदेशक

स्थान : चेन्नई
तारीख : 11 नवंबर, 2009